फैक्ट फाइंडिंग

बनभूलपुरा हिंसा

असली गुनहगार कौन ?

द्वारा

कौमी एकता मंच

विवरणिका

- भूमिका
- 8 फरवरी का घटनाक्रम
- असामाजिक तत्वों की भूमिका
- पुलिस फायरिंग में मरने वाले और घायलों का विवरण
- खुफिया विभाग की रिपोर्ट और नगर निगम कमिश्नर की भूमिका
- संवैधानिक-वैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का रुख
- उत्तराखंड की बदलती फिजा
- कर्फ्यू के दौरान पुलिसिया कहर; बनभूलपुरा के लोगों खासकर महिलाओं के साथ हुई बातचीत का विवरण
- पुलिस प्रशासन का पक्ष
- निष्कर्ष एवं मांग

भूमिका

बनभूलपुरा पर यह फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ''कौमी एकता मंच'' की ओर से प्रस्तुत है। गौरतलब है कि 8 फरवरी को हल्द्वानी के मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनभूलपुरा में नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा एक मदरसा और मस्जिद को ढहाने के दौरान हुई हिंसा, पथराव, आगजनी एवं पुलिस फायरिंग में 7 लोग मारे गये एवं सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक, पुलिसकर्मी एवं पत्रकार घायल हुये। तदुपरान्त कर्फ्यू, पुलिस की दबिश और गिरफ्तारियों के साये में 25 फरवरी के दिन क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन द्वारा हल्द्वानी में सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने हेतु एक भाईचारा बैठक आहूत की गई थी।

इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों - उत्तराखंड सर्वोदय मंडल, भाकपा (माले), प्रगतिशील महिला एकता केंद्र, उत्तराखंड महिला मंच, इंकलाबी मजदूर केंद्र, ऐक्टू, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, समाजवादी लोक मंच, महिला एकता मंच, वन पंचायत संघर्ष मोर्चा, परिवर्तनकामी छात्र संगठन, मजदूर सहयोग केंद्र, जनवादी लोक मंच, क्रांतिकारी किसान मंच, प्रगतिशील भोजन माता संगठन, महिला किसान अधिकार मंच इत्यादि के प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न पत्रकारों, वकीलों एवं बुद्धिजीवियों ने भागीदारी कर **''कौमी एकता मंच''** का गठन किया और तय किया कि बनभूलपुरा क्षेत्र की हिंसा एवं कर्फ्यू से प्रभावित आबादी, जिनमें अधिकांश गरीब मजदूर मेहनतकश जन हैं, को राहत पहुंचाने के लिये राशन, सब्जी, दूध, दवा, मेडिकल सहायता इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही 8 फरवरी का घटनाक्रम, उसके कारणों एवं कर्फ्यू के दौरान के हालात को जानने-समझने हेतु एक फैक्ट फाइंडिंग टीम क्षेत्र का दौरा करेगी और लोगों से मुलाकात करेगी। कानूनी मामले में उचित सहायता देने का प्रयास करेगी। प्रस्तुत रिपोर्ट **'बनभूलपुरा हिंसाः असली गुनहगार कौन?' ''कौमी एकता मंच''** की इसी फैक्ट फाइंडिंग टीम द्वारा 28 फरवरी से 5 मार्च तक प्रभावित क्षेत्र के लोगों से व्यापक बातचीत कर, पुलिस फायरिंग में मारे गये एवं घायल हुये लोगों के परिजनों से मिलकर, उस समय के समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया कवरेज व कुछ वायरल वीडियो का अध्ययन कर जारी की गई है।

8 फरवरी का घटनाक्रम

बनभूलपुरा कोई नई बस्ती नहीं है, इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हल्द्वानी शहर का। मुसलमान हल्द्वानी के लिए बाहरी नहीं हैं। इतिहासकार किरण त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक 'हल्द्वानी : मंडी से महानगर की ओर' में उल्लेख किया है कि 1924-25 में बनभूलपुरा में एक जिला परिषद का स्कूल खुला था। त्रिपाठी की पुस्तक के नाम से स्पष्ट है कि हल्द्वानी, जो कि उत्तराखंड के पर्वतीय कुमाऊँ क्षेत्र की एक मंडी थी उसका, मैदानी क्षेत्र होने के कारण, समय के साथ नैनीताल जिले में एक महानगर के रूप में विकास हो गया है। जैसा कि एचआर नेविल द्वारा लिखित 'नैनीताल : ए गजेटियर' (1904) में बताया गया है, 1901 में, हल्द्वानी की जनसंख्या 6,624 थी, जिसमें से 3,327 हिंदू और 3,198 मुस्लिम थे। एक समय संख्या में लगभग बराबर होने के बाद, धीरे-धीरे हिंदू प्रमुख आबादी बन गए और मुस्लिम अब केवल बनभूलपुरा जैसे विशिष्ट इलाकों में ही रह रहे हैं। आनन्द बल्लभ उप्रेती अपनी किताब 'हल्द्वानी : स्मृतियों के झरोखे से'' में बताते हैं कि कैसे आजाद नगर (आज का बनभूलपुरा) को तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष डीके पांडे ने अंग्रेजों द्वारा निर्देशित तर्ज पर सोच-समझकर विकसित किया था। उदाहरण के लिए, हर चार लेन के बाद फायर लाइनें बनाई गईं।

हल्द्वानी का बनभूलपुरा; शहर की लाइफ लाइन कहा जा सकता है। बढ़ई, प्लम्बर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक एवं टाइल लगाने का काम करने वाले इत्यादि सभी तरह के कुशल श्रमिकों के लिये ये शहर बनभूलपुरा पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा शहर के लोग बिरयानी और रुमाली रोटी का आनंद लेने के लिये भी बनभूलपुरा का रुख करते हैं। दीवाली जैसे त्यौहार पर बताशों और खिलौनों का मुख्य आपूर्तिकर्ता भी बनभूलपुरा ही है। फल-सब्जी और रेवड़ी-गुड़ के ठेले, कपड़े-जूते की दुकानों और छोटे-बड़े रेस्टोरेंट-भोजनालयों पर देर रात तक यहां बातचीत का माहौल पुरानी दिल्ली की याद दिलाता है। यहां की ज्यादातर आबादी निम्न आय वर्ग और रोज कमा कर खाने वाले मजदूर-मेहनतकश लोगों की है।

8 फरवरी की बनभूलपुरा की सुबह अन्य दिनों की सुबहों की भांति ही एकदम सामान्य और शांत थी। कुछ लोग 'हजारी रोजा' (चांद के कलेण्डर के अनुसार रजफ़ माह की 27 तारीख) लिए हुए थे। मजदूर काम पर जाने को, दुकानदार दुकान खोलने को और बच्चे स्कूल जाने को तैयार हो रहे थे, ठेला लगाने वाले अपना ठेला तैयार कर रहे थे जबकि महिलायें घरेलू कामकाज में व्यस्त हो चुकी थीं। सभी की दिनचर्या रोज की ही तरह शुरु हुई थी और शाम को क्या घटने जा रहा है इसकी किसी को भनक तक न थी।

शाम के 4 बजकर 30 मिनट पर नगर निगम की टीमें भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमले के साथ बनभूलपुरा स्थित मलिक के बगीचे पर पहुंचती हैं और यहां निर्मित एक मस्जिद और मदरसे को अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण बताकर तोड़ने का प्रयास करती हैं। स्थानीय आबादी, जिसमें महिलाओं की संख्या अच्छी खासी थी, इसका भारी विरोध करती है। लोगों का कहना था कि जब प्रशासन द्वारा इस जगह को अपने कब्जे में लेकर सील किया जा चुका है और मामला कोर्ट में भी लंबित है तो फिर मस्जिद और मदरसे को इस तरह ढहाने और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भला क्या औचित्य है?

गौरतलब है कि 30 जनवरी के अपने आदेश में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने मदरसे और मस्जिद को नजूल भूमि पर बने अवैध निर्माण बताते हुये अब्दुल मलिक को इसे हटाने के लिये 1 फरवरी तक का समय दिया था, अन्यथा 4 फरवरी को इसे बलपूर्वक ध्वस्त करने की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद 3 फरवरी को प्रशासन व नगर निगम के अधिकारियों की मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में लोगों ने अधिकारियों से कहा कि इस भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने के प्रार्थना पत्र के निस्तारण का आदेश 2007 में उच्च न्यायालय द्वारा किया जा चुका है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर यह अभी भी लंबित है तथा इस क्षेत्र की भूमि पर रेलवे और स्थानीय लोगों के दावे के साथ यह पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। इसके अलावा लोगों ने मलिक का बगीचा के इंदिरा नगर पश्चिमी मलिन बस्ती श्रेणी-ए में होने का हवाला देकर भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की। बैठक हालांकि बे-नतीजा रही लेकिन देर रात डेढ़ बजे स्थानीय जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में प्रशासन ने मस्जिद और मदरसे को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया। इसके बाद 6 फरवरी को अब्दुल मलिक की पत्नी सफिया मलिक ने इस भूमि पर अपने मालिकाने के दावे के साथ उच्च न्यायालय में याचिका लगाई, जो कि स्वीकार हुई और 8 फरवरी को सुनवाई के बाद इस पर सुनवाई की अगली तारीख 14 फरवरी तय हुई। परन्तु प्रशासन ने 14 फरवरी तक इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा और 8 फरवरी की शाम को ही मस्जिद व मदरसे को ध्वंस करना शुरू कर दिया। क्या यह न्यायिक प्रक्रिया में मुकदमा हार जाने की संभावना से लिया गया उतावलेबाजी का कदम था? या फिर शहर की फिजा खराब करने वाला उकसावेबाजी का कदम? यह साफ होना बाकी है।

यहां एक और कानूनी पहलू है जो कि बनभूलपुरा निवासियों के पक्ष में जाता है, वह यह कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में 1950 में 'भूमि सुधार कानून' बना था, जिसके तहत पुराने जमींदारी भूमि संबंधों को बदला गया था और अधिकतम भूमि की सीमा को तय किया गया था। इस भूमि सुधार कानून में छोटी जोत के मालिकों को सुरक्षा दी गई थी और जो जहां बसा हुआ है उसे वहीं मालिकाना हक प्रदान किया गया था। उस समय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ऐसे में बनभूलपुरा के निवासियों को भी यह कानूनी सुरक्षा हासिल है। यह कानून यद्यपि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दलील का आधार नहीं बनाया गया है परंतु यदि इस कानून को मद्देनजर रखा जाय तो बनभूलपुरा सहित प्रदेश की, कथित अवैध बसावट वैध मानी जानी चाहिये। लेकिन प्रशासन ने इन सभी बातों को नजरअंदाज कर मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरु कर दी।

लोगों ने कहा कि अंदर कुराने पाक और अन्य धार्मिक किताबें व सामान हैं, इससे उनकी बेअदबी होगी, लेकिन प्रशासन ने सरकारी सील खोले बिना और धार्मिक पुस्तकों व अन्य सामान की सूची बनाकर उसे सरकारी मालखाने में जमा करने के प्रोटोकाल का पालन नहीं किया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जेसीबी से मलवा हटाने के दौरान 1-2 मार्च को 18 कुरान निकाली गयीं। साफ है कि प्रशासन की कार्यवाही सरकारी कब्जे वाली सीलबंद जगह पर नियमों को ताक पर रखकर की गयी। मस्जिद व मदरसे के ध्वंस का विरोध करते हुए महिलायें वहीं धरने पर बैठ गईं और लोगों ने नारेबाजी शुरु कर ध्वस्तीकरण को रोकने की कोशिश की, जवाब में पुलिस ने लाठियां भांजकर लोगों को वहां से खदेड़ने का प्रयास किया। महिलाओं को सड़कों पर घसीटा गया और 4 जे.सी.बी. मशीनों की सहायता से मस्जिद और मदरसे को ढहा दिया गया। गौरतलब है कि जिस समय मस्जिद और मदरसे को ढहाया गया उस समय पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे।

इसके बाद मस्जिद और मदरसे को ढहाने से उत्तेजित लोगों द्वारा पथराव शुरु कर दिया गया, जवाब में पुलिस कर्मियों और नगर निगम कर्मियों द्वारा भी पलटकर लोगों पर पथराव किया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तथा हवाई फायरिंग की। अब चौतरफा भगदड़ की स्थिति कायम हो गई। कुछ पुलिसकर्मी, जो कि बनभूलपुरा की गलियों में फंस गये, को लोगों ने पीटा, हालांकि इसका उल्टा भी हुआ और पुलिस कर्मियों को स्थानीय लोगों ने भीड़ से बचाया व अपने घरों में शरण दी। कई महिला पुलिस कर्मियों को स्थानीय लोगों ने आश्रय दिया और उन्हें अपने आम महिलाओं के कपड़े दिए ताकि वहां से वे सुरक्षित निकल सकें और अराजक तत्वों के निशाने पर न आयें। इसी तरह कुछ पत्रकारों को भी शरण देकर उनकी हिफाजत की गई। हिंसा के दौरान गोपाल मंदिर; जो मस्जिद-मदरसे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर है; को उपद्रवियों द्वारा नुकसान पहुंचाने से भी लोगों ने बचाया।

इस माहौल के बीच कुछ पत्रकारों ने हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हुये बेहद उत्तेजक कवरेज की और शहर व राज्य की सांप्रदायिक फिजा बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। यह भी पता चला कि इन पत्रकारों को बुलडोजर की कार्यवाही शुरु होने से कुछ देर पहले ही खुद प्रशासन ने अपनी गाड़ी से घटना स्थल पर पहुंचाया था।

असामाजिक तत्वों की भूमिका

अफरा-तफरी के इस माहौल में अब असामाजिक तत्व भी शामिल हो गये और भारी तोड़फोड़ व आगजनी शुरु हो गई। भीड़ ने बनभूलपुरा थाने के सामने खड़े वाहनों में आग लगा दी और खुद थाने के एक कमरे को भी आग के हवाले कर दिया, जिसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह बुझाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये असामाजिक तत्व गांधी नगर बस्ती से थे और शराब के नशे में थे। कुछ घटनायें लोगों के इन आरोपों को पुष्ट भी कर रही हैं, जैसे थाने पर हमला करने वाली भीड़ ने थाने के नजदीक ही चल रहे एक मुस्लिम शादी समारोह पर भी हमला किया। यदि ये उपद्रवी बनभूलपुरा के होते तो ऐसा कतई न करते। इसके अलावा लोगों के कथनानुसार इसी उपद्रव के दौरान गांधी नगर क्षेत्र में ही एक हिस्ट्रीशीटर संजय सोनकर फईम नामक एक युवक की मोटर साइकिल को पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और जब फईम इसका विरोध करता है तो वह गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। इस दौरान इनके घर से सामान की लूटपाट भी की जाती है। गौरतलब है कि फईम (30 वर्ष) इस उपद्रव में मरने वाले 7 लोगों में से एक है। इस मामले में न्यायालय के 9 मई के आदेश के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी तरह एक वीडियों में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक पुलिस की मौजूदगी में पथराव कर रहे हैं।

बनभूलपुरा प्रकरण में असामाजिक तत्वों की यह भूमिका स्वतः स्फूर्त थी अथवा योजनाबद्ध? ऑप इंडिया नामक पत्रिका, जो कि हिन्दू दक्षिणपंथी पत्रिका है, आर.एस.एस.-भाजपा की खुली समर्थक है, वाल्मीकि समुदाय से जुड़े लोगों की इस भूमिका को न सिर्फ स्वीकारती है अपितु जिस तरह इसका गौरवगान करती है उससे यही प्रतीत होता है कि यह सब योजनाबद्ध था। यह आर.एस.एस. द्वारा दंगों में असामाजिक तत्वों के इस्तेमाल के एक खास पैटर्न की ओर इशारा करता है। गौरतलब है कि स्थानीय आबादी के लोग इस तरह के दंगे-फसाद या उपद्रव में शामिल नहीं होते हैं। गुजरात नरसंहार और दिल्ली दंगों में बाहरी लोगों या दूसरे शहरों से लाये गये उपद्रवियों की भूमिका रही थी। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि उपद्रवी तत्व बाहरी लोग थे और उन्होंने पूर्व में पुलिस से शिकायत की थी कि अनजान लोगों की तादाद इस इलाके में बढ़ गयी थी।

चोरगलिया रोड स्थित बनभूलपुरा थाने में आगजनी की घटना के बाद शासन एवं पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों की बैठकें हुई। अब अर्द्ध सैन्य बलों को भी मौके पर बुला लिया गया। गोली चलाने के आदेश के बारे में एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा का बयान आया कि ''जब बनभूलपुरा थाने पर हमला हुआ तो अधिकारी और कर्मचारी फंस गए। उपद्रवियों की तरफ से गोली चल रही थी। ऐसे में थाने पर कब्जा लेने और अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया गया। मामले में कार्यवाही नजीर बनेगी। उपद्रवियों ने अतिक्रमण स्थल को बचाने के लिए नहीं बल्कि राज्य को चुनौती देने के लिए हमला किया था।'' वहीं जिलाधिकारी ने इस बारे में बयान दिया कि ''भीड़ ने थाने को घेर लिया और थाने के अंदर मौजूद लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया। उन पर पहले पथराव

किया गया और फिर पेट्रोल बम से हमला किया गया। थाने के बाहर वाहनों में आग लगा दी गई और धुएं के कारण दम घुटने लगा। पुलिस थाने की सुरक्षा के लिए ही आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया।'' बयानों से साफ है कि गोली चलाने के आदेश के बारे में प्रशासन के स्तर पर कोई स्पष्टता नहीं थी। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रात्रि 9 बजे पूरे हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया। साथ ही रात 10 बजे शहर में इंटरनेट सेवायें बंद कर दी गयी।

पुलिस फायरिंग में मरने वाले और घायलों का विवरण

रेलवे स्टेशन के पास बनभूलपुरा की गफूर बस्ती, जहां के निवासी बेहद गरीब हैं और स्वस्थ नागरिक सुविधाओं से भी वंचित हैं, में रहने वाले पिता-पुत्र मोहम्मद जाहिद (उम्र 43 वर्ष) और अनस (उम्र18 वर्ष) पुत्र जाहिद 8 फरवरी को पुलिस फायरिंग में मारे गये। 28 फरवरी को ''कौमी एकता मंच'' की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने गफूर बस्ती में जाकर इस पूरी घटना की पड़ताल की जिसमें सामने आया कि मोहम्मद जाहिद मैजिक गाड़ी चलाते थे और 8 फरवरी की शाम गाड़ी खड़ी करने के बाद नमाज अता कर घर लौटे थे और करीब सात-साढ़े सात बजे चोरगलिया रोड पर स्थित दुकान से दूध लेने गये थे, वहीं उन्हें गोली लगी और उनकी मौत हो गई। जब पिता को ढूंढने अनस बाहर निकला तो चोरगलिया रोड के पास उसे भी गोली लगी और वहीं उसकी भी मौत हो गई। पिता-पुत्र की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मदद के लिये पुलिस हेल्प लाइन पर फोन किया तो किसी ने नहीं उठाया। अस्पताल को फोन कर एम्बुलेंस की गुहार लगाई लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। अंततः परिजन मोहम्मद जाहिद की मैजिक गाड़ी में ही पिता-पुत्र की लाश को लेकर सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, वहीं उनका पोस्टमार्टम हुआ लेकिन परिवार को अभी तक (28 फरवरी तक) भी न तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र। परिवार के लोग इतने भयभीत हैं कि उन्होंने पुलिस थाने में एफ.आई.आर. तक भी नहीं दर्ज कराई है।

इसी तरह गोलीबारी में मारे गये मोहम्मद इसरार के बारे में फैक्ट फाइंडिंग टीम को पता चला कि वे छोटा हाथी चलाते थे और 8 फरवरी की शाम काम से लौटकर अपने लड़के को तलाशने चोरगलिया रोड पर गये थे, तभी उनके सिर पर गोली लगी। यह भी करीब सात-साढ़े सात बजे का समय था। उनका पुत्र सुहैल उन्हें ढूंढने गया तो वे सड़क पर गिरे मिले। यहां भी अस्पताल ले जाने के लिये उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली। उनके बेटे किसी तरह उन्हें लेकर हल्द्वानी बेस अस्पताल से कृष्णा अस्पताल से फिर सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां 13 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई। उनके दोनों बेटे दुकानों में काम करते हैं और उस दिन भी वे शाम को अपने काम से लौटे थे।

फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 8 फरवरी को गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुये और 18 दिन अस्पताल में रहकर दम तोड़ देने वाले इंदिरा नगर के अलबसर के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि अलबसर (19 वर्ष) पुत्र माजिद के पचास वर्षीय पिता को 8 फरवरी की शाम सात-साढ़े सात बजे किसी ने बताया कि तुम्हारे लड़के को गोली लगी है। अलबसर लाल स्कूल, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनभूलपुरा लाइन नं. 17, के पास पड़ा मिला। उसके पेट में गंभीर चोट थी और उसकी आंतें बाहर निकल आई थीं। उसे टेम्पू करके सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया। 18 दिन अस्पताल में रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और वह सब्जी का ठेला लगाता था।

इसी तरह सबान पुत्र शफीक अहमद, बिलारी मस्जिद के पीछे मछली बाजार रोड में दुकान पर था। भारी पुलिस बल को देख डर-भय के माहौल में उसने अपने पिता को बुलाया और दुकान बंद की और लाइन नम्बर 8 में काम करने वाले अपने छोटे भाई को बुलाने के लिए गया। कुछ देर में परिवार वालों को फोन पर सूचना मिली कि उनके बेटे को गोली लगी है। ढूंढने निकले तो फोन से ही पता चला कि उसकी मौत हो गयी है। सुशीला तिवारी अस्पताल में उसका पंचनामा हुआ। रात 8 बजे बॉडी परिजनों को सौंप दी गयी। 5–7 लोग जनाजे में गये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है।

उक्त विवरण के अनुसार पुलिस गोलीबारी में मारे गये इन पांचों लोगों- मोहम्मद जाहिद और उसके पुत्र अनस, मोहम्मद इसरार, अलबसर और सबान को गोली 8 फरवरी की शाम सात-साढ़े सात बजे के करीब लगी जबकि प्रशासन के स्तर पर गोली चलाने के आदेश को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। जिलाधिकारी महोदया ने कर्फ्यू के औपचारिक आदेश 9 बजे दिये थे। इससे स्पष्ट है कि फायरिंग कर्फ्यू के

आदेश से पहले ही शुरू हो गई थी। साफ है कि इनकी हत्या पुलिस फायरिंग या उपद्रवी तत्वों की गोली से हुई। यदि उपद्रवी तत्वों ने उनकी हत्या की तो किसके इशारे और सहयोग से की। गौरतलब है बनभूलपुरा में रचे गये हत्याकांड और उपद्रव के दौरान बिजली काट दी गयी थी।

फैक्ट फाइंडिंग टीम को गोलीबारी में घायल दो लोगों के बारे में निम्न जानकारी हासिल हुई।

गफूर बस्ती के 21 वर्षीय मोहम्मद समीर हल्द्वानी के तीनपानी क्षेत्र से मजदूरी कर घर लौट रहे थे, तभी चोरगलिया रोड पर स्थित डेरी के पास उनके बायें घुटने के ऊपर जांघ में गोली लगी। इन्हें पुलिस ही सुशीला तिवारी अस्पताल ले गई और मरहम पट्टी कराकर सिविल कोर्ट में इनके बयान दर्ज कराये, उसके बाद छोड़ दिया।

इसी बस्ती के 40 वर्ष के रिक्शा चालक रईस के पेट और हाथ पर चोरगलिया रोड पर गोली लगी। इन्हें घायल अवस्था में पुलिस बेस अस्पताल लेकर गई और मरहम पट्टी करवाई। पुलिस ने इनसे अस्पताल का पर्चा और एक्स-रे छीन लिया। इन्होंने डर की वजह से एफ. आई.आर. नहीं करवाई।

इसके अलावा इस बात की भी संभावना है कि पुलिस की गोलीबारी में घायल बहुत से लोग डर की वजह से सामने नहीं आये हों और छिप कर अपना इलाज करा रहे हों।

उपरोक्त विवरण में मरने और घायल होने वाले सभी लोग शाम को काम से लौटकर अपने घर आये थे अथवा आ रहे थे तब उन्हें गोली लगी। अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार पुलिस ने 350 राउंड फायरिंग की और इस दौरान क्षेत्र की बत्ती गुल थी। स्पष्ट है कि पुलिस ने फायरिंग के प्रोटोकाल का पालन नहीं किया और किन्हीं उपद्रवियों को लक्षित करके नहीं बल्कि अंधाधुंध फायरिंग की गई।

8 फरवरी के बनभूलपुरा प्रकरण के दौरान विवाहेतर संबंधों की वजह से हुई आपसी रंजिश के कारण एक पुलिस कर्मी ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रकाश नाम के एक मजदूर की हत्या कर उसके शव को चोरगलिया रोड, पुल के पास डाल दिया गया, जिससे यह लगे कि उसकी मौत बनभूलपुरा प्रकरण में हुई है, परन्तु मामला उजागर हो गया। यहां यह सवाल भी उठता है कि क्या इस पुलिसकर्मी को इस सब की पूर्व सूचना थी या यह महज एक संयोग था। जो भी हो इस पुलिसकर्मी ने बड़े ही शातिर ढंग से प्रकाश की हत्या को अंजाम दिया और कोशिश की कि प्रकाश इस उपद्रव का एक मासूम शिकार बन कर सामने आये।

खुफिया विभाग की रिपोर्ट और नगर निगम कमिश्नर की भूमिका

इस पूरे प्रकरण में एक खास बात यह भी है कि खुफिया विभाग ने प्रशासन को कई बार चेताया था कि यदि मदरसे और मस्जिद को ढहाने की कार्यवाही की जाती है तो इसका भारी विरोध होगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या खुफिया सूचना को जानबूझकर अनदेखा किया गया ताकि संभावित विरोध को कोई और रूप देकर राज्य में ध्रुवीकरण किया जा सके? क्या आधी-अधूरी तैयारी इसी सुनियोजित योजना का हिस्सा थी? या फिर क्या प्रशासन ने लोगों के भारी विरोध के मद्देनजर आवश्यक तैयारी ऐसे ही की थी? यदि प्रशासन ने खुफिया विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लिया होता तो वह ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से पहले वहां के धर्मगुरुओं एवं स्थानीय जिम्मेदार लोगों को अपने विश्वास में लेने की कोशिश करता। लेकिन प्रशासन ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। दूसरे, इस कार्यवाही के दौरान सिर्फ पी ए सी के जवान ही आवश्यक सुरक्षा तैयारियों के साथ मौके पर मौजूद थे, बाकी पुलिस कर्मियों एवं पी आर डी (प्रांतीय रक्षा दल) के जवानों की ऐसी कोई सुरक्षा तैयारी नहीं थी। यही वजह रही कि पथराव में वे घायल हुये। इसके अलावा खुफिया विभाग ने ध्वस्तीकरण के लिये मुफीद सुबह का समय बताया था, लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्यवाही के लिये शाम का वक्त चुना, जबकि सर्दियों के मौसम में जल्दी ही अंधेरा होने लगता है। प्रशासन का यह फैसला भी उसे कठघरे में खड़ा करता है।

इस मामले में नगर निगम कमिश्नर पंकज उपाध्याय भी खासे विवादित और चर्चित रहे 31 जनवरी को इनका स्थानांतरण कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक के पद पर हो चुका होता है लेकिन इसके बावजूद ये 8 फरवरी को इतनी बड़ी कार्यवाही को नेतृत्व दे रहे होते हैं। 1 फरवरी को भी इनकी अब्दुल मलिक के साथ गर्मा-गर्म बहस होती है और यही वो सज्जन हैं जो कि 2 फरवरी को हल्द्वानी के ही एक दूसरे हिस्से राजपुरा में नजाकत खां के बगीचे पर कब्जा लेने के बाद वहां मौजूद मुस्लिम महिलाओं को धमकाते हुये इस अंदाज में वहां गौशाला खोलने की घोषणा करते हैं और बने हुए ढांचों को गिराकर जमीन पर कब्जा ले लेते हैं, मानो यह उनके व्यक्तिगत अहम का सवाल हो। यहां गौर करने लायक बात ये है कि नजाकत खां के पास इस जमीन की खेती बही से लेकर दाखिल खारिज तक के दस्तावेज हैं। जिनके आधार पर पूर्व में भी वे मुकदमे जीते और जमीन पर अधिकार हासिल किया। 8 फरवरी के प्रकरण के बाद अब पंकज उपाध्याय को पदोन्नति देते हुये उधमसिंह नगर जिले का अपर जिलाधिकारी बना दिया गया है। यहां यह रेखांकित करना होगा कि बनभूलपुरा के इस पूरे प्रकरण को बनभूलपुरा ही नहीं, हल्द्वानी की बाकी जनता ने भी अप्रिय माना। बनभूलपुरा की जनता जहां इस पूरे घटनाक्रम से आतंकित थी, वहीं हल्द्वानी शहर की जनता इससे हैरान-परेशान थी। कर्फ्यू व इंटरनेट सेवायें बंद कर दी गई थीं। हालांकि प्रशासन द्वारा शेष हल्द्वानी में 10 फरवरी की शाम से कर्फ्यू हटा लिया गया था और इंटरनेट सेवायें बहाल कर दी गई थी, जबकि बनभूलपुरा में 12 दिन लम्बा कर्फ्यू रहा जिसमें 15 फरवरी से कुछ ढील मिलनी शुरु हुई और 20 फरवरी को जाकर ही कर्फ्यू को पूरी तरह हटाया गया। हालांकि बनभूलपुरा के चौक चौराहों पर पुलिस और अर्द्ध सैन्य बल इसके बाद भी तैनात रहे, जिनमें से अर्द्ध सैन्य बलों को कुछ दिन बाद हटा लिया गया।

हल्द्वानी शहर में इस दौरान अफवाहों का बाजार भले ही कुछ गर्म रहा हो परन्तु शांति बनी रही। भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं व नेताओं द्वारा अशांति फैलाने की कोशिशें की गई परन्तु वे नाकाम साबित हुयी।

संवैधानिक-वैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का रुख

राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुरूआत से ही मामले पर नजर बनाए हुए थे। वो घटना के अगले दिन 9 फरवरी को हल्द्वानी शहर के दौरे पर आये। इस दौरान उन्होंने घायल पुलिस कर्मियों से मुलाकात की, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। हालांकि इस दौरान वे बनभूलपुरा के आम घायलों से अस्पताल में नहीं मिले। उन्होंने बनभूलपुरा के आम नागरिकों के प्रति कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं की। जहां घायल पुलिसकर्मियों को मुआवजे की घोषणा की गई वहीं उपद्रव में मारे गए और घायल लोगों के लिए किसी तरह मुआवजे की कोई घोषणा तक नहीं कि गयी। इसके बाद विवादित भूमि पर न्यायालय के वाद को ताक पर रखकर पुलिस चौकी बनाने की घोषणा कर दी। यह पुलिस चौकी एक टैंट के अंदर बना दी गयी है। जिसे आरोपियों के घरों से कुर्की के रूप में जब्त सामान; जो नियमानुसार सरकारी मालखाने में जमा होने चाहिए था; से सजाया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री का उक्त व्यवहार प्रदेश की आम जनता के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही वाला नहीं है।

सांसद अजय भट्ट जी ने भी 12 फरवरी को हल्द्वानी का दौरा किया। इस दौरान वे घायल पुलिसकर्मियों, पत्रकारों, निगम कर्मचारियों से मिले। लेकिन इनका दौरा भी जिंदगी-मौत से जूझ रहे बनभूलपुरा के घायलों के बीच नहीं हुआ। इनमें से दो घायलों की तो बाद में इलाज के दौरान मौत ही हो गई। सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में हुई हिंसा की घटना का सही अंदाजा तभी लगा सकते थे, जब वे; प्रशासन और जनता; दोनों से मिलते। लेकिन इनका दौरा भी लोगों के बीच निष्पक्षता और न्याय की भावना भरने वाला न होकर पक्षपातपूर्ण रहा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी ने भी 21–22 फरवरी हो हल्द्वानी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन की मौजूदगी में विवादित जगह का दौरा किया। साथ ही आम लोगों को 22 फरवरी को सर्किट हाउस, काठगोदाम में मिलने का समय दिया। सर्किट हाउस में जिलाधिकारी सहित जिला एवं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आम लोगों की बात सुनी। इस दौरान लोगों ने मीडियाकर्मियों को बाहर करने के साथ किसी भी तरह की वीडियोग्राफी का विरोध किया। अध्यक्ष महोदय से उन्होंने वायदा लिया कि उनकी यहां कही जा रही बातों की वजह से प्रशासन उनके ऊपर किसी तरह की कानूनी या दमन की कार्यवाही न करे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के सामने आम लोगों का यह संकोच गौर करने लायक है। इसको समझते हुए यह बेहतर होता कि अध्यक्ष

जी आम लोगों से अलग से मिलते और जिला प्रशासन से अलग। जिससे वे सभी की भावनाओं और तथ्यों से सही से परिचित होते। अपनी राय और रिपार्ट को अधिक सही से बना पाते।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती कुसुम कंडवाल जी ने 27 फरवरी को हल्द्वानी का दौरा किया। अपने दौरे में वे 8 फरवरी के उपद्रव में घायल महिला पुलिसकर्मियों से मिलीं, लेकिन कर्फ्यू में रहीं बनभूलपुरा की आम महिलाओं से वे नहीं मिलीं। अगर वे उनसे भी मिलतीं तो हिंसा और उपद्रव का महिलाओं पर पड़े दुष्प्रभाव को ज्यादा सही से अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर पातीं। जो सत्य की खोज और न्याय को प्राप्त करने में मददगार होती।

उत्तराखंड की बदलती फिजा

यदि विगत कुछ वर्षों में उत्तराखंड की बदलती राजनीतिक फिजा पर गौर करें तो 8 फरवरी के इस घटनाक्रम को सही दृष्टि से देख पाना संभव है। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार इस समय भाजपा की सरकार है और इस समय जो शख्स मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं वे खुद को 'धर्म रक्षक' कहलाना अधिक पसंद करते हैं। 'धर्म रक्षक' पुष्कर सिंह धामी की मानें तो इस समय उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी न होकर 'लैंड जिहाद' है। वे दो टूक कहते हैं कि 'लैंड जिहाद' को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस तरह बेहद चालाकी से राज्य की भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को जो कि पूंजीपतियों द्वारा राज्य में भारी पैमाने पर जमीन को खुर्द-बुर्द किये जाने के खिलाफ था, उसकी दिशा को 'लैंड जिहाद' की ओर मोड़ कर एक तीर से दो शिकार किये हैं; एक ओर पूंजीपतियों की सुरक्षा तथा इनके लिए जमीन की बेरोक टोक लूट खसोट तो दूसरी ओर हिन्दू मुस्लिम ध्रुवीकरण। और वे सिर्फ कहते ही नहीं करते भी हैं। विगत समयों में उन्होंने वन भूमि पर बनी 300 से अधिक मजारों को ध्वस्त करवा दिया, हालांकि उसी वन भूमि पर मंदिर भी बने हैं, लेकिन 'लैंड जिहाद' जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय की मजारों, मस्जिदों, मदरसों और बस्तियों को ही माना जायेगा। जबकि उत्तराखंड में जिस कथित वन भूमि, नजूल भूमि, रेलवे की भूमि इत्यादि पर ये सब बने हुये हैं उसी पर हिंदू समुदाय के मंदिर और उनके घर दुकान भी आम तौर पर बने हुये हैं। लेकिन चीजों को प्रस्तुत और प्रचारित ऐसे किया जा रहा है कि मुसलमान अतिक्रमणकारी हैं, हालांकि इस घिनौनी सांप्रदायिक राजनीति की आड़ में असल में सभी धर्मों के मजदूर-मेहनतकशों को उजाड़ा जा रहा है। अब चाहे यह जी-20 के नाम पर हो या फिर अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर। हालांकि अपने राजनीतिक हितों के मद्देनजर सरकार द्वारा कुछ चुनिंदा जगहों पर नजूल की भूमि को फ्री-होल्ड भी किया गया है।

विगत वर्ष पुरोला (उत्तरकाशी) में जो कुछ घटित हुआ उसने भी देश दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। यहां 'लव जिहाद' का फर्जी मामला बनाकर हिंदूवादी संगठनों ने उसे इतना तूल दिया और आतंक कायम किया कि शहर के चंद मुस्लिम दुकानदारों को शहर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। इसी कड़ी में फिर हल्द्वानी के कमलुवागांजा में एक मुस्लिम व्यक्ति पर गौ वंश के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला बनाकर भाजयुमो के एक पदाधिकारी विपिन पाण्डे और उसकी गैंग द्वारा पूरे क्षेत्र में मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें बंद करवाने और दहशत कायम करने का काम किया गया, जबकि असल में मामला पैसों के लेन-देन का था। जिस व्यक्ति पर अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया वह एक कारपेन्टर था। जिसके काम व मेहनत का पैसा नहीं दिया जा रहा था। उसके तकादा करने पर उस पर झूठा आरोप मढ़ दिया गया। 8 फरवरी के बनभूलपुरा प्रकरण के बाद कमलुवागांजा में भाजयुमो के इसी पदाधिकारी विपिन पाण्डे और उसकी गैंग ने पुनः मुस्लिमों की दुकानें बंद कराई और तोड़फोड़ कर दहशत कायम की। इस मामले का चिंताजनक पहलू ये है कि 10 स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस से सुरक्षा और उक्त लम्पट को रोकने की गुहार लगाई। कौमी एकता मंच के लोगों ने भी प्रशासन को ज्ञापन दिया और मुलाकात कर उक्त लम्पट तत्वों पर कार्यवाही की मांग की। पर, प्रशासन चुप्पी साधे रहा, कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। इसी तरह पिछले दिनों धारचूला में कथित बाहरी तत्वों के विरुद्ध एक भड़काऊ जुलूस हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने निकाला। यहां बाहरी से मतलब मुस्लिम समुदाय के लोगों से था।

दूसरी तरफ पुलिस ने हिंसा में मारे गये 7 बनभूलपुरावासियों की तरफ से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। बल्कि हिंसा-उपद्रव के आरोप में 100 से अधिक बनभूलपुरा के लोगों को ही गिरफ्तार कर हिंसा, बलवा, सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली धाराओं में मुकदमे दर्ज कर

जेल भेजा है। इन पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 307, 395, 323, 341, 342, 353, 427, 435, 436 के तहत, उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम की धारा 3, 4 के तहत, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 की धारा 7 तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 15 के तहत मुकदमे दर्ज किये हैं। यह दिखाता है कि हत्या जैसे संगीन अपराध के प्रति रुख, उपद्रव में संपत्ति के नुकसान के प्रति रुख और कमलुवागांजा में माहौल बिगाड़ने वाले भाजयुमो के कार्यकर्ता के प्रति रुख में पुलिस का व्यवहार एकदम विपरीत है। फईम की हत्या के मामले में न्यायालय के 9 मई को एफ.आई.आर. दर्ज कर जांच के आदेश आने के बाद पुलिस कार्यवाही करेगी। यहां पीड़ित ही अपराधी के रूप में कठघरे में खड़े हैं, वाली स्थिति दिखाई देती है।

इसके अलावा करीब सवा साल पहले रेलवे के दावे को मानते हुये उच्च न्यायालय ने बनभूलपुरा के 4365 निर्माणों अर्थात बड़े हिस्से को ध्वस्त करने के आदेश दे दिये थे, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय से इस पर स्थगनादेश (स्टे) प्राप्त हो जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। इस समय यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय के उक्त फैसले में साफ कहा गया है कि इस क्षेत्र में कोई नजूल भूमि नहीं है और नगर निगम को लीज पर भूमि देने और उसके नवीनीकरण का कोई अधिकार नहीं है। अब यहां दो सवाल खड़े होते हैं। पहला यह कि जिस भूमि पर नगर निगम के स्वामित्व को उच्च न्यायालय खारिज कर चुका है उस पर कब्जा लेने एवं उस पर मौजूद किसी निर्माण को ध्वस्त करने का अधिकार नगर निगम को भला किसने दिया? दूसरा यह कि यदि यह भूमि नजूल की है तो फिर सवा साल पहले बनभूलपुरा पर तीखे हुये विवाद में राज्य सरकार ने न्यायालय में बनभूलपुरा के निवासियों की पैरवी क्यों नहीं की? स्पष्ट है कि बनभूलपुरा हर ओर से सिर्फ इसलिये पीसा जा रहा है कि यह एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है?

उपरोक्त घटनाक्रमों एवं ऐसे ही कुछ अन्य घटित मामलों के मद्देनजर स्पष्ट है कि फासीवादी ताकतों द्वारा आज उत्तराखंड को हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रुप में विकसित किया जा रहा है और 8 फरवरी का प्रकरण कोई अलग-थलग और अचानक घटने वाली घटना न होकर हिंदुत्व की इसी राजनीति का एक प्रयोग था।

8 फरवरी की घटना पर हिंदी अखबारों एवं कुछ टीवी व यू ट्यूब चैनलों ने बिना किसी जांच पड़ताल के बनभूलपुरा के सभी मुसलमानों को इसके लिये जिम्मेदार ठहरा दिया और भड़काऊ शीर्षकों एवं मनगढंत तथ्यों के साथ इस तरह एकतरफा रिपोर्टिंग की मानो हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हों।

कर्फ्यू के दौरान पुलिसिया कहर; बनभूलपुरा के लोगों खासकर महिलाओं के साथ हुई बातचीत का विवरण

8 फरवरी की रात जबकि कर्फ्यू ग्रस्त बनभूलपुरा में डरे सहमे लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया था उस समय पुलिस बनभूलपुरा के गली-मोहल्लों में गश्त कर रही थी, जबकि हल्द्वानी के कर्फ्यू ग्रस्त अन्य क्षेत्रों में पुलिस की ऐसी गश्त नहीं थी। गश्त के दौरान पुलिस ने धार्मिक और भद्दी गालियों के साथ लोगों के घरों के दरवाजों को पीटा, सड़कों पर खड़े दुपहिया और चौपहिया वाहनों को तोड़ डाला। पुलिस कितने ही घरों में दरवाजा तोड़कर भीतर घुस गई और लोगों को बुरी तरह मारा पीटा गया। महिलाओं-बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस ने घरों के भीतर भी भारी तोड़ फोड़ की और टीवी, फ्रिज, शीशे, वाशिंग मशीन, सिलाई मशीन और किचन के सामान इत्यादि को भारी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में ले लिया या ज्यादा सही कहें तो उठा लिया।

वहीं शहर की आम जनता का रुख ऐसा नहीं था। गौलापार, चोरगलिया (बनभूलपुरा के पूरब में गौला नदी के पार के इलाके) से लेकर हल्द्वानी की जनता के बीच से कुछ लोगों ने इस दौरान राशन आदि की मदद बनभूलपुरा के लोगों तक पहुंचाने का काम किया। व्यापार मण्डल ने भी मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें खुलने देने की मांग की, हालांकि उन पर ''दंगाइयों'' की मदद का आरोप लगाया गया। जिसके बाद उन्हें सफाई में कहना पड़ा कि ''हमारी मांग का गलत मतलब लगाया जा रहा है। हम दोषियों को सख्त सजा दिये जाने के पक्ष में हैं।'' यह जनता की संकट के समय परस्पर एकता और सहयोग की भावना को दिखाता है, जो सद्भाव कायम करने में अहम पहलू है।

इस पुलिसिया आतंक से घबरा कर क्षेत्र के बहुत से परिवार पलायन को मजबूर हुये और आस-पास अपने रिश्तेदारों के यहां चले गये। लेकिन पुलिस की यह दहशत पैदा करने वाली गश्त और लोगों को हिरासत में लेने का सिलसिला जारी रहा।

उत्तरांचल दीप में काम करने वाले सलीम खान की पत्नी ने बताया कि 10 फरवरी की दोपहर बाद 20–25 पुलिस वाले उनके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आये। उनके पति उस समय घर पर नहीं थे। घर में वे, उनकी तीन बेटियां, उनकी भाभी और तीन भतीजियां थीं, अर्थात घर में सिर्फ महिलायें ही थीं। पुलिस ने सभी को बहुत मारा और भद्दी गालियां दी। उनकी बड़ी बेटी, जो कि वकील है और उनकी छोटी बेटी, जो कि नाबालिग है, को पुलिस ने बहुत पीटा और उनकी भाभी का हाथ तोड़ दिया। इसके अलावा पुलिस ने उनके घर में तोड़फोड़ भी की और टीवी, फ्रिज, किचन का सामान इत्यादि नष्ट कर दिया।

इस दिन सलीम खान के घर पर जो कुछ हुआ वह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उस दिन बनभूलपुरा के दर्जनों घरों की कहानी बन गई। फैक्ट फाइंडिंग टीम की मुलाकात नजमा (बदला हुआ नाम) से हुई, उन्होंने बताया कि 10 तारीख की शाम को पुलिस उनके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई और उनके लड़के को बहुत मारा और खून में नहलाकर बेहोश छोड़कर चले गये। पुलिस कह रही थी कि वह पत्थर मारने वालों में शामिल था, जबकि उस दिन (8 फरवरी को) वह काम पर गया हुआ था।

रशीद अहमद (बदला हुआ नाम) की पत्नी समीना ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को बताया कि 10 तारीख को 3 बजे के लगभग वे अपने घर में खाना खा रहे थे कि 10–15 पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आये। पुलिस ने उनके पति को लाठियों से पीटा जिससे उनका पैर टूट गया। समीना ने बताया कि पुलिस ने उसे भी पीटा और घर का सारा सामान-फ्रिज, वाश बेसिन, टीवी, वाशिंग मशीन और बर्तन सब तोड़ दिया। अलमारी में पर्स में रखे हुये दस हजार रुपये भी ले गये। बाहर कर्फ्यू लगे होने के कारण उनके पति घर में ही कराहते रहे और जब उन्होंने मदद के लिये 108 नंबर पर फोन किया तो जवाब मिला कि अगर आपका पैर टूटा हुआ है तो आपने पथराव किया होगा और हम आपको लेने नहीं आएंगे। जब कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील हुई तभी जाकर वे कच्चा प्लास्टर करवा पाये। रशीद और समीना गहरे सदमे में हैं कि उन्हें क्यों मारा गया और उनका सामान तोड़ा गया।

रुक्सार (बदला हुआ नाम) ने बताया कि 10 तारीख को शाम को करीब 4 बजे पुलिस जोर-जोर से हमारे घर का दरवाजा पीटने लगी। हमने दरवाजा खोला तो पुलिस वालों ने अंदर घुसते ही हमें मारना शुरु कर दिया। मेरे पति और बेटों को पुलिस घसीटते हुये ले गई और कुछ दिन बाद उन्हें छोड़ा। इस दौरान पुलिस ने उन्हें बहुत मारा पीटा।

जायेशा (बदला हुआ नाम) ने बताया कि पुलिस द्वारा दरवाजा पीटे जाने पर हमने दरवाजा खोल दिया और वे (पुलिस वाले) अंदर घुस आये। उन्होंने टॉयलेट की शीट और बाथरूम के सारे नल तोड़ डाले। गैस चूल्हा भी तोड़ डाला और बाइक भी तोड़ दी। मेरा हाथ तोड़ दिया और गाली-गलौच की।

इसी तरह 40 वर्षीय मुजामिल, जिन्होंने 8 फरवरी के ध्वस्तीकरण के दौरान मस्जिद से कुछ कुरान पाक को निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर रखवा दिया था, को भी पुलिस 10 फरवरी को उनके घर से घसीट के ले गई। मुजामिल को जेल भेजा जा चुका है।

फैक्ट फाइंडिंग टीम द्वारा अपना परिचय देने पर रहमत अली (बदला हुआ नाम) ने हम पर संदेह जताते हुये कहा कि 'यहां तो कई पत्रकार आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वीडियो बनाकर ले जा रहे हैं और उलटी-पुलटी खबरें चला रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन क्या करने आ रहा है? कुछ देर की बातचीत के बाद विश्वास बनने पर उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन वह यहां नहीं था और उसे घरवालों ने फोन कर माहौल खराब होने की बात बताई। 10 फरवरी को पुलिस उसके परिवार के दो लोगों को उठाकर ले गई और सात-आठ दिन बाद छोड़ा। पुलिस ने दोनों को बहुत मारा।

10 तारीख की दोपहर बाद के समय जबकि पुलिस लोगों के घरों में घुस रही थी तब सभी जगहों पर ज्यादातर महिलायें ही घरों पर थीं और पुलिस ने उन सभी को बुरी तरह पीटा और घरों में तोड़फोड़ की। बुजुर्गों और बीमारों को भी नहीं बख्शा गया। पीटने वालों में पुरुष और महिला पुलिस कर्मी दोनों शामिल थे, हालांकि महिला पुलिस कर्मियों की संख्या पुरुष पुलिस कर्मियों की तुलना में बहुत कम थी। कई ऐसे घरों में भी पुलिस ताला तोड़कर घुस गई और भारी तोड़ फोड़ की, जहां घर में कोई नहीं था और लोग कहीं बाहर गये हुये थे। ऐसे बंद घरों में खड़े दोपहिया और चौपहिया वाहन भी पुलिस ने तोड़ डाले। कई घरों में तो टॉयलेट की शीट और सिंक तक को पुलिस ने तोड़ दिया।

गफूर बस्ती में घटे एक घटनाक्रम में पुलिस ने एक नौजवान को इशारा कर बुलाया और सामान उठाने में मदद के लिये चार-पांच और लोगों को बुलाने को कहा। जब सब लोग आ गये तो पुलिस ने इन्हें पीटना शुरु कर दिया और तब तक पीटते रहे जब तक कि वे अधमरे नहीं हो गये।

इसी तरह स्कूल की कुछ छात्राओं ने बताया कि कुछ पुलिस वाले बहुत खराब तरह से बोल रहे थे और गाली देकर बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक बूढ़े-बुजुर्ग अपने घर के आगे कुर्सी पर धूप में बैठे थे कि एक पुलिस वाले ने कुर्सी पर जोर से लात मारी इससे वे नीचे गिर गये और डर कर अपने घर के अंदर चले गये।

लोगों ने यह भी बताया कि कर्फ्यू के दौरान पुलिस जिन लोगों को उठा रही थी उन्हें गौला पार कुंवरपुर के स्कूल में बनाये गये डिटेंशन सेंटर ले जाया जा रहा था और वहां उन्हें बुरी तरह मारा पीटा जाता था। उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को जेल भेज दिया जाता था और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता था। अभी तक पुलिस 100 से अधिक लोगों को जेल भेज चुकी है जिनमें से 5 महिलायें हैं।

लोगों पर बरसे कहर की इन कहानियों से पता चला कि लोग घायल होने, परिजनों के जेल में होने, घरों पर तोड़फोड़ से हुए नुकसान के कारण भारी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। इसके कारण राशन, इलाज जैसी बुनियादी जरूरी चीजों से महरूम हैं। ऐसे में कौमी एकता मंच ने भी अपने सीमित संसाधनों में कुछ लोगों के राशन, इलाज में मदद की। इस तरह की मदद अन्य सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं व व्यक्तियों के द्वारा भी की गयी। कुछ मामलों में पुलिस ने मदद करने वालों से भी पूछताछ और जांच की।

8 फरवरी के प्रकरण के बाद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस-प्रशासन के बड़े अधिकारियों के बयान थे कि 'दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा' और 'दंगाईयों से सख्ती से निपटा जायेगा', शायद इन बयानों का आशय वही था जो कि कर्फ्यू के दौरान बनभूलपुरा में घटा।

सरकार की मुस्लिम विरोधी बयानबाजी, मुस्लिमों की सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने (नजाकत खां के बगीचे व बनभूलपुरा की तोड़फोड़ की घटनाओं और खुद मलिक के बगीचे में ध्वस्तीकरण, आदि उदाहरण), लम्पट तत्वों को मुस्लिम दुकानदारों-मजदूरों को निशाना बनाने की खुली-छिपी छूट के कारण फिजा खराब बनी हुयी है। फैक्ट फाइंडिंग में यह तथ्य भी सामने आया कि तमाम मजदूरों, कारीगरों को शहर के अन्य हिस्सों में काम मिलने में अब कठिनाई होने लगी है। इस वैमनस्य भरे माहौल से इन मेहनतकश लोगों के लिए जीवनयापन कठिन हो रहा है, जो एक स्वस्थ समाज के लिए नासूर सा बन रहा है। सरकार और प्रशासन समय रहते नहीं चेते तो समाज का भारी नुकसान होगा।

इस दौरान हल्द्वानी के कमलुवागांजा क्षेत्र में एक स्थानीय भाजपा नेता मोटर साइकिलों और कार पर अपने समर्थकों की भीड़ लेकर खुलेआम मुस्लिम दुकानदारों को धमकाता हुआ घूम रहा था। उसने कई दुकान मालिकों पर दबाव डाल उनसे जबरन मुस्लिम किरायेदारों की दुकानें खाली करवा कर शहर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की। उसने जबरन दुकानें बंद करवाई, तोड़-फोड़ और मारपीट कर मुस्लिम दुकानदारों को आतंकित करने की कोशिश की। लेकिन यहां पुलिस-प्रशासन शिकायत के बाद भी सक्रिय नहीं हुआ। कोई एफ.आई. आर., मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। स्पष्ट है कि पुलिस का आरोपी भाजपा नेता को संरक्षण मिला हुआ है। कुछ दुकान मालिकों ने भले

ही दबाव में दुकानें खाली कराई लेकिन कुछ अपने मुस्लिम किरायेदारों के साथ खड़े भी हुये। यहां स्थानीय लोगों के किसी उकसावे में न आने से स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं गई और शहर में हिंसा नहीं फैली।

मीडिया कर्मियों की बात

8 फरवरी को प्रशासन की कार्यवाही, उपजी हिंसा और उपद्रव को पत्रकारों ने भी देखा, जिन्होंने शहर में पहली बार हुई इस तरह की हिंसा को प्रशासनिक चूक और उकसावे की कार्यवाही बताया। कुछ पत्रकारों की तरफ से उत्तेजक कवरेज और पलटवार की साम्प्रदायिक भाषा इस्तेमाल करने की बात स्वीकारी। पत्थरबाजी कहां और कैसे शुरू हुई इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं मिली। घायल पत्रकारों को इलाज में प्रशासन, सरकार ने मदद की। लेकिन मुआवजा नहीं मिला। मोटरसाइकिल, कैमरे अन्य निजी सामान के नुकसान का भी उचित मुआवजा नहीं मिला। हां, मोटरसाइकिलों के नुकसान के नाममात्र मुआवजे दिये गये। 5000 से लेकर 90,000 रुपये तक मुआवजे मिलने की बात पत्रकारों ने बताई।

इसके अलावा कर्फ्यू के बाद में देश-विदेश के पत्रकारों ने क्षेत्र का दौरा कर घटना की रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया। स्वीडन की एक पत्रकार ने क्षेत्र का दौरा कर मामले को रिपोर्ट करने की कोशिश की जिसमें प्रशासन ने पत्रकार से पूछताछ कर रिपोर्टिंग को हतोत्साहित किया। ऐसा ही प्रशासन ने, कुछ मामले जो सामने आये, फ्रांस के पत्रकार के साथ भी किया। इस्मत आरा नाम की एक पत्रकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर बनभूलपुरा की एक महिला उत्पीड़न का वीडियो डाला था। जिसे उन्होंने उत्तराखण्ड पुलिस के कहने पर 'एक्स' से हटाते हुए टिप्पणी की- ''हल्द्वानी के बारे में मेरा वीडियो महिलाओं के आरोपों पर आधारित था। मैंने वही बताया जो मुझे बताया गया था। लेकिन, जिन महिलाओं ने ये आरोप लगाए हैं, उन्होंने पुलिस के पास नहीं जाने या मामले की जांच नहीं कराने का फैसला किया है। पिछले एक हफ्ते से उत्तराखण्ड पुलिस मुझसे संपर्क कर रही है और लगातार वीडियो को हटाने का अनुरोध कर रही है क्योंकि उनका मानना है कि कुछ लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे तनाव बढ़ सकता है। अधिकारियों के साथ सहयोग करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए, मैं वीडियो हटा रही हूं।'' इससे यह जाहिर होता है कि प्रशासन इस घटना में सत्य उजागर कर दोषियों को सजा दिलवाने के बजाय घटना के घिनौने पहलुओं को सामने आने से रोककर ''शांति'' कायम करने में लगा है। यहां सत्य को उजागर कर न्याय करने की बातें कहीं कानूनी किताबों में दफन सी कर दी गयी हैं।

पुलिस प्रशासन का पक्ष

कौमी एकता मंच ने पूरे मामले पर पुलिस व जिला प्रशासन का पक्ष जानने के लिये अधिकारियों से भी समय मांगा, प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन उन्होंने मुलाकात का समय नहीं दिया। उच्च अधिकारियों द्वारा समय न दिये जाने के बावजूद, बनभूलपुरा थाने पर बात करने पर पुलिसकर्मियों ने कहा कि इस मामले में कप्तान, सी.ओ. ही बयान दे सकते हैं। अभी जांच जारी है। बलवा, दंगा, आगजनी, मारने की कोशिश की धाराएं दर्ज की गयी हैं। ज्यादा सही से जांच अधिकारी ही बता सकते हैं। घटना योजनाबद्ध थी या नहीं कह नहीं सकते। कितने घंटे बलवा चला कह नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम समुदाय को आरोपी नहीं कह रहे हैं। कई मुस्लिम परिवारों ने मदद भी की। उग्र भीड़ ने मदद करने वालों के घरों पर भी पत्थर फेंके। महिलायें प्रदर्शन में थीं लेकिन आगजनी में शामिल नहीं थीं। आगजनी करने वाले थाने के बाहर ही थे, अंदर नहीं आ पाये थे और उन्होंने पीछे के कमरे में खिड़की से अंदर आग डाली गयी तो थाने के अंदर सर्वर रूम के इलेक्ट्रिक सामान ने आग पकड़ ली। थाने के बाहर खड़ी मोटर साइकिल और कारों में भी उन्होंने ही आग लगाई। उस समय थाने में 35–36 लोग थे। पुलिस कर्मियों ने बताया कि स्थानीय मुस्लिम आबादी ने पुलिस कर्मियों को बचाया भी। उन्हें कपड़े दिये और अपने घरों में शरण भी दी।

निष्कर्ष एवं मांग

- मलिक के बगीचे पर स्थित मस्जिद और मदरसा को प्रशासन द्वारा अपने कब्जे में लेकर सील किया जा चुका था और मामला उच्च न्यायलय में विचाराधीन था। ऐसे में प्रशासन द्वारा पर्याप्त तैयारी के बिना आनन-फानन में की गई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही गैरजरुरी और उकसावे पूर्ण थी।
- करीब सवा साल पुराने उच्च न्यायालय के फैसले में स्पष्ट कहा गया है कि इस क्षेत्र की कोई भूमि नजूल भूमि नहीं है। ऐसे में जिस भूमि पर नगर निगम का कोई स्वामित्व ही नहीं है तो उस भूमि पर बने किसी निर्माण को ध्वस्त करने का नगर निगम के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था।
- खुफिया विभाग की रिपोर्ट और चेतावनियों को नजरअंदाज करना भी प्रशासन को कठघरे में खड़ा करता है।
- थाने के बाहर व भीतर आगजनी और भारी तोड़-फोड़ करने वाले बनभूलपुरा के निवासी न होकर असामाजिक तत्व थे, जिनका कि हिंसा भड़काने के लिये इस्तेमाल किया गया था।
- कर्फ्यू एवं देखते ही गोली मारने के आदेश की सार्वजनिक घोषणा एवं कमर से नीचे ही गोली मारने इत्यादि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। ऐसे में परिस्थितियों से अंजान बेगुनाह लोग गोलीबारी में घायल हुये और मारे गये।
- कर्फ्यू में गश्त के दौरान पुलिस द्वारा जबरन दरवाजा तोड़कर लोगों के घरों में घुसना, उन्हें बुरी तरह मारना-पीटना, महिलाओं- बुजुर्गों तक को न बख्शा, घरों में भारी तोड़-फोड़ करना और मनमानी गिरफ्तारी जैसी कार्यवाही पूरे समुदाय को आतंकित करने की एक आपराधिक कार्यवाही थी।
- पुलिस फायरिंग में घायल एवं मृतकों के परिजनों को सांत्वना देना एवं सहायता प्रदान करना शासन की जिम्मेदारी थी, जिसे शासन द्वारा नहीं निभाया गया। मुख्यमंत्री द्वारा घायल पुलिस कर्मियों से तो मुलाकात की गई लेकिन बनभूलपुरा के पुलिस गोलीबारी में घायल एवं मृतकों के परिजनों से कोई मुलाकात नहीं की गई, इससे मुस्लिम समुदाय का शासन के प्रति अविश्वास बना।
- सत्ताधारी भाजपा के एक स्थानीय नेता द्वारा अपने समर्थकों के साथ शहर के एक हिस्से में स्थानीय दुकान मालिकों पर दबाव बनाकर मुस्लिम किरायेदारों से जबरन दुकानें खाली कराई गई एवं दुकानों को बंद कराया गया तथा लोगों से मारपीट व तोड़फोड़ की गई। इस स्थानीय भाजपा नेता को पुलिस-प्रशासन का सहयोग हासिल था, हालांकि लोगों को आतंकित करने एवं क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की इस कार्यवाही को स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं मिला।

उपरोक्त के मद्देनजर कौमी एकता मंच मांग करता है कि -

- 8 फरवरी के बनभूलपुरा प्रकरण एवं कर्फ्यू के दौरान पुलिस की ज्यादतियों की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच हो। दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो।
- पुलिस गोलीबारी में जो घायल हुये उन्हें 5 लाख रु. एवं जो मारे गये उनके परिजनों को 25 लाख रु. मुआवजा दिया जाये एवं मृतक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाये।
- बनभूलपुरा में लोगों के घरों से हुई लूटपाट, तोड़फोड़, आगजनी से हुई क्षति का समुचित मुआवजा दिया जाये।

द्वारा

फैक्ट फाइंडिंग टीम
कौमी एकता मंच

फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य-

1. डॉ. उमा भट्ट- 8958802074
2. बसन्ती पाठक- 9149364418
3. रजनी जोशी- 9758210962
4. हीरा जंगपांगी- 8218158035
5. प्रेम प्रसाद आर्या- 6397776886
6. डॉ. कैलाश पाण्डे- 9411129579
7. के.के. बोरा- 9411165788
8. महेश- 9837479097
9. चन्दन- 9411136425
10. रईस- 8923806282
11. रियासत- 9756614439
12. रोहित- 9953430503
13. नरभिन्दर सिंह- 9354430211
14. नसीम-
15. हबीब-